संख्या-21/2018/ 1999/46-3-18-3(37)/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2018**

विषय- चीनी एवं शीरा के बाजार मूल्य में हुई गिरावट व अन्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं किसानो के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु, पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये गन्ने की मात्रा के सापेक्ष रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2018/1697/46-3-18-3(37)/2018, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 तथा अपने पत्र संख्या-261/शोध एवं समन्वय/2018, दिनांक 16 नवम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-13/2018/1697/46-3-18-3(37)/2018, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 में, प्रस्तर-1 में नया उप प्रस्तर (12) एवं (13) जोड/रख दिया जाय:-

1- (12) ऐसी चीनी मिलें, जो रु.4.50 को छोड़कर, पेराई सत्र 2017-18 के शेष सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी हैं अथवा सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान हेतु नियत तिथि (30.11.2018) के पूर्व कर दिया जाता है, तो उन्हें अनुदान (वित्तीय सहायता) की सम्पूर्ण धनराशि एस्क्रो एकाउन्ट में भुगतान कर दिनांक 30.11.2018 तक गन्ना किसानों के खाते में प्रेषित किये जाने की अनुमति होगी।

1- (13) पेराई सत्र 18-2017के शेष सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु अनुमन्य वित्तीय सहायता की धनराशि सहकारी चीनी मिलों को प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ को एक मुश्त भुगतान कर दी जाय, जिससे कि सहकारी चीनी मिलों के सम्पूर्ण भुगतान की समीक्षा करते हुए नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके।

3- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-13/2018/1697/46-3-18-3(37)/2018, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को इस सीमा तक परिवर्धित/संशोधित माना जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा. संख्या-ई-6-902/दस-2018, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 21/2018/ 1999(1)/46-3-18-3(37)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
8- महासचिव, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसियेशन, चिन्टल हाउस, लखनऊ।
9- समस्त परिक्षेत्रीय-उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त अध्यासी, निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश। **(द्वारा-गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से)**
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ.प्र. शासन।
13- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
14- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

राकेश कुमार मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।